न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 51/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण – 1. नगा पुत्र तिलोका 2. लूणाराम 3. लूंभाराम पि. समेला 4. तारीदेवी पत्नी समेला जाति मेघवाल निवासी मेहरानगढ़ (कोनरा) तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. गुमनाराम 2. जयराम पि. जोधाराम 3. सभीदेवी पुत्री जोधाराम पत्नी सुरताराम जाति मेघवाल निवासी बावड़ी कला तहसील चौहटन 4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौहटन 5. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री शाकर खान समेजा
विप्रार्थी – एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.11.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा पूनियो का तला पटवार हल्का बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 811/282 रकबा 5.8275 हैक्टेयर एवं इसी मूल खसरा नम्बर 282 में विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 810/282 रकबा 6.3131 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व रहवासी ढाणियां बनी हुई है।

वर्तमान में ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में [illegible] कर्मचारियों ने विप्रार्थीगण से मिलकर कब्जा काश्त नजरअन्दाज कर गलत [illegible] कर दी गई जिससे प्रार्थीगण का मौके व रिकॉर्ड में बदलाव आय गया। प्रार्थीगण को अपने राजस्व संबंधी समस्त [illegible] करने में भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:09:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परेशानियां आ रही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मौजा पूनियो का तला पटवार हल्का बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 811/282 रकबा 5.8275 हैक्टयर, खसरा संख्या 810/282 रकबा 6.3131 हैक्टेयर की वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार आवेदन पत्र के संलग्न के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। प्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया बावजूद विप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर पूनियो का तला पटवार हल्का बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 811/282 रकबा 5.8275 हैक्टयर, खसरा संख्या 810/282 रकबा 6.3131 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:09:41 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन